संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: श्री रक्तिम सेन गुप्ता, डार्क रूम सहायक के उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन अनुरोध पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह केहने का निदेश हुआ है कि श्री रक्तिम सेन गुप्ता, डार्क रूम सहायक द्वारा आदेश दिनांक 02-11-2007, जिसमे यह प्रावधान है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिओं को उनके विकल्प के अनुसार राज्य आवंटित किया जाएगा, के तहत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन के लिए अनुरोध किया गया है । परामर्शी समिति द्वारा 09-02-2012 को हुई बैठक में उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया गया तथा यह पाया गया कि श्री रक्तिम सेन गुप्ता तृतीय श्रेणी के कार्मिक है और भारत सरकार के आदेश दिनांक 02-11-2007 से आच्छादित नहीं होते है । अतः समिति द्वारा श्री रक्तिम सेन गुप्ता, डार्क रूम सहायक के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उनका उत्तराखंड राज्य आवंटन यथावत बनाए रखे जाने कि संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री रक्तिम सेन गुप्ता, डार्क रूम सहायक उत्तराखंड में बने रहेगे । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

Dept. of Personnel & Trg.
22